मेरे समक्ष पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जारी नोटिस वलीलशुदा पते से प्राप्त किये गये। सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा इनके वकील कोई भी हाजिर नहीं हो। फाइल हत्था राजस्व अपील प्राधिकारी में दिगर राजस्व प्रकरणों के पक्षकारान की सुनवाई / बहस में व्यस्त हो। अतः आदेशानुसार वकील प्रतिवादीगण सं. 9 से 18 तक के जवाब दावा हेतु दि. 14.5.2018 को पेश हो।

दिनांक 14.5.2018

आज यह अपील राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकार को राहत प्रदान करने की दृष्टि से यह अपील पुनः श्रवण आपके द्वारा अभियान 2018 के दौरान अन्तर्गत मेरे समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान को जारी नोटिस वलीलशुदा पाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रार्थी के वकील तथा अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के वकील कोई भी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं हो। विचारण प्रकरण में अप्रार्थी सं. 19 स्टेट हाईवे प्राधिकरण सिरोही स्वयं ने हाजिर होकर विचारण में प्रपत्र अध्याय 12 R.T.I. पर कोई भी बहस करने से कोई भी बहस सुनी गई।

हमने अप्रार्थी स्टेट हाईवे प्राधिकरण सिरोही की एक तरफा कोई भी बहस सुनकर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण अपील का भी राहत बुलेट अध्ययन कर उसपर भी मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि अपील के लंबित रहते भू-कृषि भूमि की डमाबंदी संवत 2070-20

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue

3050, 3051, 3053, 3054, 3056, 3057
कुल खसरा 9 कुल क्षेत्रफल 12.8500 हेक्टेयर
प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 18 तक के संयुक्त
खातेदारी का बड़ो काश्त की है उक्त वादग्रस्त
कृषि भूमि में प्रार्थी का 5/108 खातेदारी हक
हिस्सा है प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष
में है। प्रार्थी वादग्रस्त काश्त की खातेदार
कृषक है प्रार्थी को अपने हक हिस्से की
उक्त आराजी पर काश्त करने का पूर्ण
अधिकार है प्रार्थी के हिस्से की आराजी
में फसल खड़ी है। अप्रार्थी गण को प्रार्थी
के बड़ो काश्त में दखलअंदाजी व काश्त
करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
अविवाद्य संतुलन व सुविधा की
भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा बोई
फसल को अप्रार्थी गण द्वारा नष्ट करने
का अंदेशा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय
क्षति होगी तथा प्रार्थी को असुविधा
होगी तथा प्रार्थी को बहुविवाद में
उलझना पड़ेगा।

अतः उपरोक्त सभी के आधार
पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र धारा
212 R.T Act का आवश्यक में स्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किया जाता है
तथा अप्रार्थी सं. 1 से 18 तक को इस
अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये आदेश,
मूलवाद तक इस काश्त की अस्थाई
निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता
है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा
पाडीव तहसील सिरोही में स्थित खसरा
3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3053,
3054, 3056, 3057 कुल खसरा 9
कुल क्षेत्रफल 12.8500 हेक्टेयर में
प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्से की
ज्योंगत्त शेयर की आराजी पर बड़ो
काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी
नहीं करे व काश्त करने से नहीं रोके।
द्वितीय आदेश अग्रिम अग्रिम